न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016 निगरानी

मुकेश पिता मांगीलाल कुल्मी,
निवासी–ग्राम ढाबलाहर्दू, तहसील तराना जिला उज्जैन म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1– सुनिल पिता मांगीलाल कुल्मी
निवासी–ग्राम ढाबलाहर्दू, तहसील तराना जिला उज्जैन म.प्र.

2– अरूण पिता कन्हैयालाल कुल्मी
निवासी–ग्राम ढाबलाहर्दू, तहसील तराना जिला उज्जैन म.प्र. .....अनावेदकगण

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय नायब तहसीलदार तराना जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 4/अ–13/15–16 मे पारित आदेश दिनांक 15/06/16 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर निम्न कारणो के आधार पर पुर्नरिक्षण आवेदन अंदर अवधि प्रस्तुत करता है।

1. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने जिन वादग्रस्त भूमि में से रास्ते का आदेश दिया हैं उन्हें विधिवत् पक्षकार भी नही बनाया हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, विधान एवम् प्रावधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. यह कि, अनावेदक द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय में न तो धारा 131 भू–राजस्व संहिता का आवेदन पेश किया एवम् ना ही धारा 32 भू–राजस्व संहिता का आवेदन या शपथ पत्र पेश किया है । इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी उचित एवम् वैध कारण के अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाने का आदेश देने में वैधानिक त्रुटि की है ।

4. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने न तो स्थल निरीक्षण किया है ना ही मौके पर कोई पंचनामा बनाया है मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ही रास्ता खुलवाने का आदेश दे दिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने प्रोसेडिंग आदेश दिनांक 29/05/2016 को यह उल्लेख किया है पटवारी से प्रतिवेदन लिया जायें तथा उसी दिन पश्चात् में यह लिख दिया कि पटवारी

निरन्तर.....2

XXIX(a)-BR(H)-11

107

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2228-पीबीआर/16 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	

पचनामा बनाया है मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार ...

है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने प्रोसेडिंग आदेश दिनांक 29/05/2016 को यह उल्लेख

किया है पटवारी से प्रतिवेदन लिया जायें तथा उसी दिन पश्चात् में यह लिख दिया कि पटवारी